म0प्र0 राज्य कृषि विपणन बोर्ड
26 अरेरा हिल्स जेल रोड किसान भवन, भोपाल

क./मण्डी/प्रांगण/46/41/कार्योजना/4686 दिनांक 12/11/2018

प्रति,

सचिव,
कृषि उपज मंडी समिति
.....जिला–.....(म.प्र.)

विषयः– कृषि उपज मण्डी समिति द्वारा शासकीय/अर्द्धशासकीय तथा सहकारी संस्थाओं को आवंटित भूखण्ड/गोदाम की लीज अवधि समाप्त होने के बाद नवीनीकरण किये जाने के संबंध में दिशा–निर्देश।

––00––

दिनांक 12.09.2018 को मंडी बोर्ड मुख्यालय में आयोजित बैठक में संबधित संस्थाओं के प्रतिनिधि उपस्थित हुये, बैठक में लिए गये निर्णय के अनुक्रम में कृषि उपज मण्डी समिति के मण्डी प्रांगण/उपमण्डी प्रांगण में म.प्र.वेयर हाउसिंग एण्ड लाजेस्टिक कार्पोरेशन, राज्य सहकारी विपणन संघ, एम.पी.एग्रो भारतीय खाद्य निगम एवं केन्द्रीय भण्डार निगम को भूखण्ड/गोदाम लीज पर आवंटित की गई थी, जिनकी लीज अवधि समाप्त होने पर कृषि उपज मंडी समिति द्वारा लीज नवीनीकरण किये जाने के संबध में निम्नानुसार दिशा–निर्देश जारी किये जाते है :–

म.प्र.कृषि उपज मण्डी (भूमि एवं सरंचना का आवंटन) नियम 2009 के नियम–3 की कंडिका–3 में भूमि या संरचना का आवंटन सामान्यत 30 वर्ष की कालावधि के लिये अनुज्ञप्ति पर किया जायेगा, और पट्टे पर नही किया जाऐगा।

आवंटन नियम–16 अनुज्ञप्ति का नवीकरण और अभ्यार्पित करनाः–

1. मंडी समिति, अनुज्ञप्तिधारी के आवेदन पर सामान्यतः अनुज्ञप्ति के नवीकरण की अनुज्ञा देगी, यदिः–

(क) उसके ऊपर कोई देय बकाया नही है, और :–

(ख) उसने अनुबंध की किसी शर्त का अतिक्रमण नही किया है। तथापि, अनुज्ञप्ति के नवीकरण के प्रत्येक अवसर पर मण्डी समिति अनुबंध में ऐसी नई शर्ते समाविष्ट कर सकेगी जो उसकी मण्डी प्रांगण के विकास और उचित प्रबंधन के लिये आवश्यक हो, इस संबध में मण्डी समिति का विनिश्चय अंतिम तथा अनुज्ञप्तिधारी को बाध्यकारी होगा।

(2) उस दशा में जब अनुज्ञप्तिधारी, उसे आवंटित भूमि/सरंचना को अनुज्ञप्ति की समाप्ति के पूर्व अभ्यर्पित (सरेण्डर) करने की इच्छा रखता है, तो वह मण्डी समिति को दो मास की सूचना देकर, ऐसा कर सकेगा।

9/11

(3) अनुज्ञप्ति का नवीकरण न किये जाने या किसी कारण से अनुज्ञप्ति रद्द किये जाने या अनुज्ञप्ति अभ्यर्पित किये जाने की दशा में तथा अनुज्ञप्तिधारी द्वारा मण्डी समिति को आवंटित भूमि/सरंचना का रिक्त कब्जा परिदत्त किये जाने पर, उसकी 'सुरक्षा निक्षेप' को उसके ऊपर बकाया देय का समायोजन करने के पश्चात् उसे लौटा दिया जाएगा। यदि संरचना का संनिर्माण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा स्वयं कराया गया हो तो उसे संरचना की "अनुमानित वर्तमान मूल्य" का भी भुगतान किया जाएगा।

उपरोक्त वर्णित प्रावधानों के तहत् भूखण्ड/गोदाम की लीज नवीनीकरण के संबध में प्रदेश की कृषि उपज मण्डी समितियों को कार्यालयीन पत्र कमांक/मण्डी/प्रांगण/3/1/ब/पार्ट–7/मुरैना/2438 दिनांक 12.01.2018 एवं पत्र कमांक 2863 दिनांक 13.4.2018 से निर्देश जारी किया गया।

प्रदेश की कृषि उपज मण्डी समितियों के प्रांगण में गोदाम निर्माण हेतु जो भूमि लीज पर उपलब्ध करांई है, तथा निर्मित गोदाम का लीज रेन्ट एवं प्रीमियम राशि का निर्धारण म.प्र.शासन, कृषि विभाग के पत्र कमांक/बी–6/101/78/14–3 दिनांक 28.11.1978 के अनुसार किया जायेगा, इस हेतु तत्समय प्रचलित प्रीमियम एवं लीज रेन्ट की दरे संबधित जिला कलेक्टर से प्राप्त कर उपरोक्त संस्था के सक्षम प्राधिकारी एवं संबधित सचिव कृषि उपज मण्डी समिति द्वारा अनुबंध निष्पादित करेगी। म.प्र.शासन के उपरोक्त निर्देश के अनुक्रम में ऐसी भूमि जो कृषि उपज मण्डी समिति को बिना निधि खर्च किये प्राप्त हुई है, उसके संबध में निम्नानुसार उल्लेख है:–

प्रीमियम– साधारण प्रीमियम की दर का 25 प्रतिशत (साधारण प्रीमियम की दर से अभिप्रेरित है शासन के द्वारा उस वर्ष मण्डी प्रांगण से लगी भूमि के लिये निर्धारित प्रीमियम की दर)

लीजरेन्ट– शासन द्वारा निर्धारित दर अर्थात वह दर जिसके मुताबिक मण्डी को शासन की लीजरेन्ट या असेंसमेंट पटाना पड़े।

प्रीमियम उपरोक्तानुसार दर से लिया जायेगा, लेकिन लीजरेन्ट के भुगतान के संबध में यह माना जायेगा कि मण्डी समितियों द्वारा यदि लीजरेन्ट नही चुकाया जा रहा है तो म.प्र.राज्य भण्डार गृह निगम द्वारा भी लीजरेन्ट का भुगतान नही किया जायेगा, लेकिन यदि मण्डी समितियों द्वारा लीजरेन्ट का भुगतान किया जाता है, तो ऐसी परिस्थिति में भण्डार गृह निगम द्वारा भी लीजरेन्ट देय होगा। भुगतान के संबध में अन्य शर्ते राज्य शासन कृषि विभाग के निर्देशानुसार प्रभावशील रहेगी।

यदि जो भूमि भण्डार गृह निगम को उपलब्ध कराई जा रही है, वह मंडी के द्वारा अपनी निधि से राशि विनियोजित कर, प्राप्त की गई हो तो उसके लिये भण्डार गृह निगम से निम्नांकित दरों पर प्रीमियम तथा लीजरेन्ट लिया जाना चाहिये :–

प्रीयियमः– मंडी के द्वारा भूमि के लिये चुकाई गई कीमत एवं उसका 1/3 भाग (कीमत एक का गणन जितनी भूमि मॉगी गई हो, उसका उपरोक्तानुसार प्रीमियम निर्धारित किया जायेगा।)

लीजरेंटः– मंडी के द्वारा शासन की देय लीजरेंट या असेसमेन्ट (ASSESSMENT) की दर के समान।

राजस्व विभाग द्वारा म.प्र.शासन राजस्व विभाग के परिपत्र कमांक/एफ–6/48/2014/7/नजूल/दिनांक 21 मई 2018 द्वारा नजूल के स्थाई पट्टो के नवीनीकरण तथा स्थाई पट्टों की शर्त का उल्लघंन/अपालन के मामलों के निराकरण की प्रकिया के निर्देश जारी किये गये है, जिसकी छायाप्रति संलग्न है। परिपत्र के बिन्दु कमांक–6 परन्तु में यह प्रावधानित है, कि नवीनीकरण करने से पूर्व प्राधिकृत अधिकारी वार्षिक भू–भाटक कों पुनः निर्धारित करेगा जो पट्टे पर अंतिम निर्धारित भू–भाटक का 6 गुना देय होगा।

अतः म.प्र.कृषि उपज मण्डी (भूमि एवं सरंचना का आवंटन) नियम 2009 में विहित प्रावधान, जारी निर्देश एवं राजस्व विभाग द्वारा इस संबध में जारी किए गये परिपत्र में उल्लेखित प्रावधानों के अन्तर्गत लीज नवीनीकरण की कार्यवाही सुनिश्चित करें।

(फैज अहमद किदवई)
प्रबंध संचालक सह आयुक्त
म0प्र0 राज्य कृषि विपणन बोर्ड
भोपाल.

क./मण्डी/प्रांगण/46/41/कार्ययोजना/4687 दिनांक 12/11/2018

प्रतिलिपिः–सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

1. निज सचिव, प्रबंध संचालक, म0प्र0 राज्य कृषि विपणन बोर्ड भोपाल।
2. प्रबंध संचालक, म0प्र0 राज्य सहकारी विपणन संघ मर्यादित जहांगीराबाद भोपाल।
3. प्रबंध संचालक, म.प्र.उद्योग निगम, पंचाचन भवन, भोपाल।
4. महाप्रबंधक, केन्द्रीय भण्डारण निगम, एम.पी.नगर भोपाल।
5. प्रबंध संचालक, म0प्र0 वेयर हाउसिंग एण्ड लॉजेस्टिक कार्पोरेशन गौतम नगर,भोपाल।
6. अपर संचालक,म.प्र.राज्य कृषि विपणन बोर्ड (समस्त) भोपाल
7. प्रमुख अभियंता/अधीक्षण यंत्री, म0प्र0 राज्य कृषि विपणन बोर्ड भोपाल।
8. संयुक्त संचालक/उपसंचालक, म0प्र0 राज्य कृषि विपणन बोर्ड आचंलिक कार्यालय..... .....(समस्त)
9. कार्यपालन यंत्री, तकनीकी संभाग, म.प्र.राज्य कृषि विपणन बोर्ड.....(समस्त)

9/11

प्रबंध संचालक सह आयुक्त
म0प्र0 राज्य कृषि विपणन बोर्ड
भोपाल